रमज़ान से संबंधित महिलाओं के लिए फत्वे

[हिन्दी – Hindi – هندي]

दारूल क़ासिम

अनुवाद : अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2012 - 1433

IslamHouse.com

﴿ فتاوى نسائية رمضانية ﴾

« باللغة الهندية »

دار القاسم

ترجمة : عطاء الرحمن ضياء الله

2012 - 1433

IslamHouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) केवल अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत प्रदान करदे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

रमज़ान से संबंधित महिलाओं के लिए फत्वे

प्रश्न 1 : अगले रमज़ान के बाद तक रोज़े की क़ज़ा को विलंब करने का क्या हुक्म है ?

उत्तर 1 : जिस व्यक्ति ने रमज़ान के महीने में यात्रा या बीमारी या ऐसे ही किसी अन्य कारण से रोज़ा तोड़ दिया तो उसके ऊपर अनिवार्य है कि वह अगला रमज़ान आने से पहले उसकी क़ज़ा कर ले। दो रमज़ान के बीच की अवधि हमारे सर्वशक्तिमान पालनहार की ओर से विस्तार का स्थान है, यदि उसने अगले रमज़ान के बाद तक उसे विलंब कर दिया तो उसके ऊपर क़ज़ा अनिवार्य है और क़ज़ा के साथ हर दिन के बदले एक मिसकीन को खाना खिलाना भी अनिवार्य है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा के एक समूह ने इसका फत्वा दिया है, और खाना खिलाना देश के खादपदार्थों से आधा साअ है और वह लगभग देढ़ किलो खजूर, या चावल या इसके अलावा अन्य अनाज है। लेकिन

यदि उसने अगले रमज़ान से पहले क़ज़ा कर लिया तो उसके ऊपर खाना खिलाना अनिवार्य नहीं है।

(शैख इब्ने बाज़)

*****

प्रश्न 2 : लगभग दस साल हुए मैं व्यस्कता के परिचित लक्षणों द्वारा बालिग हुई थी, परंतु मैं ने अपने बालिग होने के प्रथम वर्ष रमज़ान को पाया लेकिन मैं ने उसका रोज़ा नहीं रखा, तो क्या अब मेरे लिए उसकी क़ज़ा करना अनिवार्य है ? और क्या मेरे ऊपर क़ज़ा के उपरांत कफ्फारा भी अनिवार्य है ?

उत्तर 2 : आपके ऊपर तौबा (पश्चाताप) और इस्तिगफार (क्षमायाचना) करने के साथ साथ उस महीने की क़ज़ा करना अनिवार्य है जिसका आपने ने रोज़ा नहीं रखा था, तथा आपके ऊपर इसके साथ ही हर दिन के लिए एक मिसकीन को खाना खिलाना भी अनिवार्य है, जिसकी मात्रा शहर के खादपदार्थ जैसे खजूर या चावल या इनके अलावा अन्य से आधा साअ है यदि आप इस पर सक्षम हैं। लेकिन यदि आप

गरीब हैं इस पर सक्षम नहीं हैं तो आपके ऊपर रोज़े के सिवा कुछ भी अनिवार्य नहीं है।

(शैख इब्ने बाज़)

*****

प्रश्न 3 : यदि प्रसुता महिला चालीस दिन पूरे होने से पहले पवित्र हो जाए तो क्या वह रोज़ा रखेगी और नमाज़ पढ़ेगी या नहीं ? और यदि उसे इसके बाद मासिक धर्म आ जाए तो क्या वह रोज़ा तोड़ देगी ? और जब दूसरी बार पवित्र हो जाए तो क्या वह नमाज़ रोज़ा करेगी या नहीं ?

उत्तर 3 : यदि प्रसुता महिला चालीस दिन पूरे होने से पहले पवित्र हो जाए तो उसके ऊपर स्नान करना, नमाज़ और रमज़ान का रोज़ा अनिवार्य है और वह अपने पति के लिए हलाल होगई। यदि चालीस दिन की अवधि के दौरान उसे दुबारा खून आ जाए तो विद्वानों के दो कथनों में से सबसे शुद्ध कथन के अनुसार उसके ऊपर नमाज़ और रोज़ा छोड़ देना अनिवार्य है और वह अपने पति पर हराम हो जायेगी

और प्रसुता के हुक्म में हो जायेगी यहाँ तक कि वह पवित्र हो जाए या चालीस दिन पूरे कर ले। जब वह चालीस दिन से पहले या चालीस दिन पर पवित्र हो जायेगी तो स्नान करेगी, और नमाज़ रोज़ा करेगी और अपने पति के लिए हलाल हो जायेगी, और अगर चालीस के बाद भी उसका खून जारी रहा तो वह खराबी का खून है उसके कारण वह नमाज़ और रोज़ा नहीं छोड़ेगी, बल्कि नमाज़ पढ़ेगी और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखेगी, और अपने पति के लिए हलाल होगी उस महिला के समान जिसे इस्तिहाज़ा का खून आता है, तथा वह इस्तिंजा करके रूई आदि रखकर बांध लेगी जिस से उसका खून कम हो जाए और हर नमाज़ के वक़्त के लिए वुज़ू करेगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस्तिहाज़ा वाली औरत को यही आदेश दिया है, परंतु जब उसे मासिक धर्म आयेगी तो वह नमाज़ छोड़ देगी।

(शैख इब्ने बाज़)

*****

प्रश्न 4 : क्या फज्र के उदय होने तक जनाबत के स्नान को विलंब करना जायज़ है ? और क्या महिलाओं के लिए मासिक धर्म या प्रसव के स्नान को फज्र के निकलने तक विलंब करना जायज़ है ?

उत्तर 4 : अगर महिला फज्र से पहले पवित्रता को देखती है तो उसके ऊपर रोज़ा अनिवार्य है, और स्नान को फज्र के निकलने के बाद तक विलंब करने में कोई रूकावट नहीं है, किंतु वह सूरज निकलने तक उसे विलंब नहीं करेगी, और पुरूष पर इसमें जल्दी करना अनिवार्य है ताकि वह जमाअत के साथ फज्र की नमाज़ को पा सके।

(शैख इब्ने बाज़)

*****

प्रश्न 5 : गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिला पर क्या अनिवार्य है यदि वे दोनों रमज़ान में रोज़ा तोड़ दें ? और उसका कितना चावल खिलाना काफी है ?

उत्तर 5 : गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिला के लिए बिना किसी कारण (उज़्र) के रमज़ान के दिन में इफतार करना (रोज़ा न रखना) वैध नहीं है। यदि वे किसी कारण रोज़ा तोड़ दें तो उनके ऊपर रोज़े की क़ज़ा करना अनिवार्य है क्योंकि बीमार के बारे में अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة : ١٨٤]

''और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में (तोड़े हुए रोज़ों की) गिंती पूरी करे।'' (सूरतुल बक़रा : 184)

और वे दोनों बीमार के अर्थ में हैं, और यदि उन दोनों का उज़्र बच्चे पर ख़ौफ (डर) हो तो उन दोनों पर क़ज़ा के साथ हर दिन के लिए एक मिसकीन को गेंहू, या चावल, या खजूर या इसके अलावा आदमियों के अन्य खादपदार्थों में से खाना खिलाना भी अनिवार्य है। तथा कुछ विद्वानों का कहना है कि : उन दोनों पर हर हाल में क़ज़ा के अलावा कुछ नहीं अनिवार्य है, क्योंकि खाना खिलाने को अनिवार्य ठहराने में कुरआन व हदीस से कोई प्रमाण नहीं है और मूल सिद्धांत

ज़िम्मेदारी का बरी होना है यहाँ तक कि उसके व्यस्त होने पर तर्क स्थापित हो जाए, और यह अबू हनीफा का मत है और यह एक मज़बूत बात है।

(शैख इब्ने उसैमीन)

*****

प्रश्न 6 : एक महिला ने रमज़ान में बच्चा जना और अपने दूध पीते बच्चे पर भय खाते हुए रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा नहीं की, फिर वह गर्भवती हो गई और अगले रमज़ान में बच्चा जना क्या उसके लिए रोज़े के बदले पैसे बांटना जायज़ है ?

उत्तर 6 : इस महिला पर अनिवार्य है कि उन दिनों के बदले रोज़े रखे जिनका उसने रोज़ा तोड़ दिया था चाहे दूसरे रमज़ान के बाद ही क्यों न हो, क्योंकि उसने पहले और दूसरे (रमज़ान) के बीच क़ज़ा को एक उज़्र की वजह से छोड़ा था, मैं नहीं जानता कि क्या उसके लिए इस में कोई कष्ट व कठिनाई है कि वह जाड़े के मौसम में एक दिन छोड़ कर एक

दिन क़ज़ा करे यद्यपि वह दूध ही पिला रही हो, क्योंकि अल्लाह तआला उसे दूसरे रमज़ान की कज़ा करने पर शक्ति प्रदान कर देगा, यदि उसके लिए ऐसा नहीं हो पाता है तो उसके लिए उसे दूसरे रमज़ान तक विलंब करने में कोई हरज नहीं है।

(शैख इब्ने उसैमीन)

*****

प्रश्न 7 : कुछ औरतें रमज़ान के महीने में मासिक धर्म को रोकने के लिए गोलियाँ लेती हैं और ऐसा इसलिए करती हैं ताकि बाद में रोज़े की क़ज़ा न करनी पड़े तो क्या यह जायज़ है और क्या इसमें पाबंदी है ताकि औरतें इस पर अमल न करें ?

उत्तर 7 : इस मुद्दे में मेरा विचार यह है कि महिला ऐसा न करे और अल्लाह ने जो चीज़ मुक़द्दर किया है और जिसे आदम की बेटियों पर लिख दिया है उस पर बनी रहे, क्योंकि इस मासिक चक्र को पैदा करने में अल्लाह तआला की

हिकमत (बुद्धिमता) है, यह हिकमत औरत की प्रकृति के अनुरूप है। यदि वह इस मासिक धर्म को रोक देती है तो निःसंदेह उसका औरत के शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है कि : ''न नुकसान जायज है न एक दूसरे को नुकसान पहुँचाना जायज़ है।'' यह इसके अलावा है जो ये गोलियाँ गर्भाशय के लिए हानिकारक बनती हैं जैसाकि डॉक्टरों ने उल्लेख किया है। इसलिए इस मुद्दे में मेरा विचार यह है कि औरतें इन गोलियों का प्रयोग नहीं करेंगी। और अल्लाह ही के लिए उसके फैसले और उसकी हिकमत पर हर प्रकार की प्रशंसा है। जब उसका मासिक धर्म आ जाए तो वह रोज़े और नमाज़ से रूक जाए और जब पवित्र हो जाए तो रोज़े और नमाज़ आरंभ करे, और जब रमज़ान समाप्त हो जाए तो छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा करे।

(शैख इब्ने उसैमीन)

*****

प्रश्न 8 : मैं एक 25 वर्षीय लड़की हूँ, किंतु मैं अपने बचपन से 21 वर्ष की आयु को पहुँचने तक लापरवाही के कारण न नमाज़ पढ़ी हूँ न रोज़ा रखी हूँ। मेरे माता पिता मुझे नसीहत करते थे पर मैं कोई परवाह नहीं करती थी। अब मुझे क्या करना चाहिए ? ज्ञात रहे कि अल्लाह तआला ने मुझ हिदायत दे दी है और अब मैं रोज़ा रखती हूँ और जो कुछ हो चुका उस पर मैं पश्चातापी हूँ।

उत्तर 8 : तौबा अपने से पहले के गुनाहों को मिटा देती है, अतः आप पश्चाताप करें, पुनः ऐसा न करने का संकल्प करे, इबादत (उपासना) में सच्चाई से काम लें, रात व दिन में अधिक से अधिक नफ़्ल नमाज़ें पढ़ें, नफ़्ल रोज़े रखें, अल्लाह का ज़िक्र, कुरआन का पाठ और प्रार्थना करें, अल्लाह तआला अपने बंदों की तौबा को स्वीकार करता है, क्षमा प्रदान करता है और पापों को माफ कर देता है।

(शैख इब्ने बाज़)

*****

प्रश्न 9 : मेरा मासिक धर्म सात से आठ दिनों के बीच रहता है और कभी कभी सातवें दिन मैं न तो खून देखती हूँ और न ही पवित्रता देखती हूँ तो नमाज़, रोज़ा और संभोग की दृष्टि से इसका क्या हुक्म है ?

उत्तर 9 : आप जल्दी न करें यहाँ तक कि सफेद स्राव देख लें जिसे औरतें जानती हैं और वह पवित्रता की निशानी है, क्योंकि खून का बंद हो जाना ही पवित्रता नहीं है, बल्कि वह पवित्रता की निशानी देखने और व्यवहारिक अवधि समाप्त होन से होती है।

(शैख इब्ने बाज़)

*****

प्रश्न 10 : प्रसव के दौरान और चालीस दिन तक पीले स्राव के निकलने का क्या हुक्म है क्या मैं नमाज़ पढ़ूँ और रोज़ा रखूँ ?

उत्तर 10 : बच्चा जनने के बाद औरत को जो खून निकलता है उसका हुक्म प्रसव के खून का है चाहे वह साधारण खून हो, या पीले रंग का हो, या मटियाले (भोरे) रंग का हो,

क्योंकि वह आदत के समय में है यहाँ तक कि चालीस दिन पूरे हो जाएं। इसके बाद अगर वह साधारण खून है और उसके बीच में खून बंद नहीं हुआ है तो वह प्रसव का खून है, अन्यथा वह इस्तिहाज़ा आदि का खून है।

(शैख इब्ने बाज़)

*****

प्रश्न 11 : क्या जनाबत की हालत में और मासिक धर्म की अवस्था में मेरे लिए धार्मिक किताबें जैसे तफसीर वगैरह की पुस्तकें पढ़ना जायज़ है ?

उत्तर 11 : जनाबत वाली और मासिक धर्म वाली औरत के लिए तफसीर की किताबें, फिक्ह (धर्मशास्त्र) की किताबें, धार्मिक साहित्य, हदीस, तौहीद इत्यादि की किताबें पढ़ना जायज़ है, बल्कि कुरआन को मात्र तिलावत के तौर पर पढ़ने से मना किया गया है, न कि दुआ या इस्तिदलाल (दलील पकड़ने) आदि के तौर पर।

(शैख इब्ने बाज़)

*****

प्रश्न 12 : उस खून का क्या हुक्म है जो मासिक धर्म के दिनों के अलावा में आता है ? हर महीने में मेरे मासिक धर्म की आदत सात दिन हैं, किंतु कुछ महीनों में मासिक धर्म के दिनों के बाहर आता है लेकिन बहुत कम मात्रा में आता है और मेरे साथ यह हालत एक या दो दिन रहती है। तो क्या इसके दौरान मेरे ऊपर नमाज़ और रोज़ा अनिवार्य है या क़ज़ा ?

उत्तर 12 : मासिक धर्म की आदत के अतिरिक्त यह खून रग का खून है उसे आदत में नहीं गिना जायेगा, वह औरत जो अपनी आदत को जानती है वह आदत के समय में न नमाज़ पढेगी, न रोज़ा रखेगी, न मुसहफ (कुरआन) छुए गी, और न ही उसका पति यौनि में उसके साथ संभोग करेगा। जब वह पाक हो जाए और उसकी आदत के दिन समाप्त हो जाएं और वह स्नान कर ले तो वह पवित्र महिलाओं के हुक्म में हो गई, और यदि वह कुछ खून या पीला या भोरा स्राव देखे तो वह इस्तिहाज़ा है उसे नमाज़ आदि से नहीं रोकेगा।

(शैख इब्ने बाज़)

*****

प्रश्न 13 : जब मैं छोटी थी मेरी आयु तेरह वर्ष थी तो मैं रमज़ान का रोज़ा रखी और मासिक धर्म के कारण चार दिन रोज़ा तोड़ दी और शर्म की वजह से इसके बारे में किसी को नहीं बतलायी, अब इस पर आठ साल बीत चुके हैं तो मुझे क्या करना चाहिए ?

उत्तर 13 : आप ने पूरी इस अवधि के दौरान क़ज़ा न करके गलती की है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह तआला ने आदम की बेटियों पर लिख दिया है, और दीन के मामले में शर्म नहीं है, इसलिए आपके ऊपर अनिवार्य है कि उन चार दिनों के रोज़ों की क़ज़ा करने में जल्दी करें, फिर आप के ऊपर क़ज़ा के साथ कफफारा भी अनिवार्य है और वह हर दिन के बदले एक गरीब को खाना खिलाना है और यह एक मिसकीन या कई मिसकीनों के लिए प्रायः शहर के खादपदार्थों में से लगभग दो साअ (यानी लगभग छः किलोग्राम) की मात्रा है।

(शैख इब्ने बाज़)

*****

प्रश्न 14 : एक महिला को गर्भावस्था के दौरान उसके प्रसव से पाँच दिन पहले रमज़ान के महीने में खून आ गया, क्या वह माहवारी का खून है या प्रसव का ? और उसके ऊपर क्या अनिवार्य है ?

उत्तर 14 : यदि मामला ऐसे ही है जैसा कि उल्लेख किया गया है कि उसने गर्भावस्था में बच्चा जनने से पाँच दिन पहले खून देखा है, तो अगर उसने बच्चा जनने के निकट होने की कोई निशानी नहीं देखी है जैसे कि दर्द का होना तो वह न तो माहवारी का खून है और न ही प्रसव का, बल्कि सही मत के अनुसार वह किसी खराबी का खून है, इस आधार पर वह इबादतों को नहीं छोड़ेगी, बल्कि वह रोज़ा रखेगी और नमाज़ पढ़ेगी, और अगर इस खून के साथ गर्भ के जनने के निकट होने की कोई निशानी जैसे कि दर्द का उठना आदि पाया जाता है तो वह प्रसव का खून है जिसकी वजह से वह नमाज़ और रोज़ा छोड़ देगी, फिर जब जनने के

बाद उससे पाक हो जायेगी तो केवल रोज़े की क़ज़ा करेगी, नमाज़ की नहीं।

(इफ्ता की स्थायी समिति)

*****

प्रश्न 15 : एक लड़की की आयु बारह या तेरह वर्ष की हो गई है और उसके ऊपर रमज़ान का महीना गुज़रा और उसने उसका रोज़ा नहीं रखा, तो क्या उसके ऊपर या उसके घर वालों पर कोई चीज़ अनिवार्य है ? और क्या वह रोज़ा रखेगी और अगर वह रोज़ा रखती है तो क्या उसके ऊपर कोई चीज़ अनिवार्य है ?

उत्तर 15 : औरत कुछ शर्तों के साथ शरीअत के कर्तव्यों का मुकल्लफ (ज़िम्मेदार) होती है : मुसलमान होना, बुद्धि (समझबूझ) वाली होना और बालिग होना, बालिग होने का पता मासिक धर्म आने, या स्वपनदोष होने, या यौनि के आसपास खुरदुरे बालों के उगने या पंद्रह वर्ष की होने से चलता है, तो अगर इस लड़की के अंदर धार्मिक कर्तव्यों का मुकल्लफ होने की शर्तें पाई जाती थीं तो उसके ऊपर रोज़ा

अनिवार्य है और उसने मुकल्लफ होने के समय जो रोज़े छोड़ दिये थे उनकी क़ज़ा करन भी उसके ऊपर अनिवार्य है। और यदि उपर्युक्त शर्तों में से काई शर्त नहीं पाई गई तो वह मुकल्लफ नहीं है और उसके ऊपर कोई चीज़ अनिवार्य नहीं है।

(इफ्ता की स्थायी समिति)

*****

प्रश्न 16 : क्या औरत के लिए इस बात की अनुमति है कि जब उसे मासिक धर्म आए तो रमज़ान में रोज़े तोड़ दे और जिन दिनों का रोज़ा तोड़ दिया है उनके स्थान पर दूसरे दिनों में रोज़े रखे ?

उत्तर 16 : मासिक धर्म वाली औरत का रोज़ा शुद्ध नहीं है और न ही उसके लिए रोज़ा रखना ही जायज़ है। जब उसे माहवारी आयेगी तो वह रोज़ा तोड़ देगी और जिन दिनों का रोज़ा तोड़ दी है उनके बदले पाक होने के बाद रोज़े रखे गी।

(इफ्ता की स्थायी समिति)

*****

प्रश्न 17 : अगर औरत फज्र के तुरंत बाद पवित्र हो जाए तो क्या वह खाने पीने से रूक जायेगी और इस दिन का रोज़ा रखेगी और उसे उसके लिए एक दिन (रोज़ा) समझा जायेगा या कि उसके ऊपर उस दिन की क़ज़ा करना अनिवार्य है ?

उत्तर : यदि फज्र के उदय होने के समय या उस से थोड़ा पहले खून बंद हो जाए तो उसका रोज़ा सही है और वह फर्ज़ रोज़े से किफायत करेगा यद्यपि उसने सुबह होने के बाद स्नाना किया हो। लेकिन अगर सुबह स्पष्ट हो जाने के बाद खून बंद हुआ है तो वह उस दिन खाने पीने से रूकी रहेगी और वह उसके लिए काफी नहीं होगा बल्कि रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा करेगी।

(शैख इब्ने बाज़)

*****

प्रश्न 18 : एक व्यक्ति ने फज्र की अज़ान के बाद रोज़ा रखने की नियत करने बाद अपनी पत्नी से दो बार संभोग कर लिया, हर दिन एक बार संभोग किया, जबकि ज्ञात रहे कि

उसकी पत्नी इस से सहमत थी, इस घटना पर पाँच साल से अधिक बीत चुके हैं तो इसका क्या हुक्म है ?

उत्तर 18 : पति पर उपर्युक्त दोनों दिनों की क़ज़ा अनिवार्य है तथा उसके ऊपर रमज़ान के दिन में संभोग करने का कफ्फारा (परायश्चित) भी अनिवार्य है और वह ज़िहार करने के कफ्फारा के समान एक गुलाम आज़ाद करना है, अगर वह न मिले तो लगातार दो महीने रोज़े रखना और अगर इसकी ताकत नहीं है तो साठ मिसकीनों को खाना खिलाना है। तथा उसकी पत्नी पर भी इसी तरह अनिवार्य है क्योंकि वह उससे सहमत थी इस काम के हराम होने को जानती थी।

(शैख इब्ने बाज़)

*****